लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन–2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-H&N/956/16/ 046 **दिनांक:** 21.12.2016

प्रेषक,

बालामुरूगन डी. , भा0प्र0 से0,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक,
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,
पटना ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण एवं वैशाली।

विषय : **गंगा किनारे अवस्थित ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मद से व्यय की गयी राशि को गंगा कार्य योजना मद में उपलब्ध राशि से Recoup करते हुए गंगा कार्य योजना मद की कुल राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य के 12 जिलों यथा - बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण एवं वैशाली के 61 प्रखण्डों में गंगा किनारे अवस्थित 307 ग्राम पंचायतों के चिन्हित 473 गाँवों को 31.12.2016 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

दिनांक 18.06.2016 को जिला पदाधिकारियों के राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं दिनांक 15.11.2016 को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री अक्षय रावत द्वारा सूचित किया गया था कि गंगा किनारे अवस्थित ग्राम पंचायतों में गंगा कार्य योजना के मद में दी गयी राशि से ही व्यय किया जाना है। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों में यदि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मद से राशि व्यय की गयी है तो उक्त राशि को गंगा कार्य योजना के मद में उपलब्ध राशि से Recoup कर लिया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में दिनांक 17.10.2016 को पटना में आयोजित उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक समीक्षा बैठक एवं दिनांक 02.10.2016 को सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना की प्रगति समीक्षा हेतु हुए विडियो कांफ्रेंसिंग में तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के ज्ञापांक 018 दिनांक 28.11.2016 के द्वारा उपरोक्त के अनुपालन हेतु आवश्यक निदेश दिए गए थे।

अत: अनुरोध है कि गंगा किनारे अवस्थित ग्राम पंचायतों में केवल गंगा कार्य योजना मद से राशि व्यय की जाय और पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मद से हुए व्यय को गंगा कार्य योजना के मद में उपलब्ध राशि से Recoup कर लिया जाय। राशि Recoup करने के उपरान्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद में उपलब्ध राशि को BRLPS – Swachh Bharat Mission (G) के पक्ष में ड्राफ्फट या चेक के माध्यम से आधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निदेश के अनुपालन के उपरान्त गंगा कार्य योजना मद में वर्षवार कुल व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.12.2016 तक राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार से इस मद में दूसरी किस्त की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव भेजा जा सके।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन,

21/12/16

(बालामुरूगन डी.)

ज्ञापांक : BRLPS/Proj-H&N/956/16/046 दिनांक : 21.12.2016

प्रतिलिपि – सभी संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी संबंधित निदेशक लेखा, डी.आर.डी.ए.-सह- सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी संबंधित जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बालामुरूगन डी.)

21/12/16

ज्ञापांक : BRLPS/Proj-H&N/956/16/046 दिनांक : 21.12.16

प्रतिलिपि – सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(बालामुरूगन डी.)

21/12/16